संख्या–2432/52–3–2018–बजट(17)/2010

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 11 दिसम्बर, 2018

विषयः–मदरसा आधुनिकीकरण (एस0पी0ई0एम0एम0) तथा छात्रावास/भवन निर्माण (आई0डी0एम0आई0) योजानान्तर्गत अनुदान स्वीकृति के दिशा निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, मदरसा/मकतब जैसी परम्परागत शैक्षिक संस्थाओं में उनकी अपनी पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन एवं हिन्दी को शामिल करने के लिए योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर उन्हें आधुनिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय भारत सरकार की नवीन गाइड लाइंस दिनांक 13.07.2018 के द्वारा लिया गया है। इस योजना का नाम भारत सरकार द्वारा स्कीम फार प्रोवाइडिंग एजूकेशन इन मदरसा (एस0पी0ई0एम0एम0) रखा गया है।

2– **पात्रता एवं मानक**–मदरसों/मकतबों को आधुनिक बनाने की यह प्रकिया स्वैच्छिक होगी। यह योजना प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के मदरसों/मकतबों में लागू होगी। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता/ मानक निम्नवत् होंगेः–

(1) विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी एवं सामाजिक अध्ययन विषयों के शिक्षण हेतु पूर्णकालिक शिक्षण कार्य के लिए स्नातक शिक्षक को रू0 6000/– तथा स्नातक के साथ बी0एड0 परास्नातक, परास्नातक के साथ बी0एड0 शिक्षक को रू0 12000/– प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात अर्थात 60 प्रतिशत केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश का प्राविधान किया गया है। फलस्वरूप योजनान्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को केन्द्रांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब भारत सरकार से धनराशि प्राप्त हो जायेगी।

(3) प्रत्येक मदरसे में अधिकतम तीन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी। मदरसों/मकतबों को अन्य सुविधायें भारत सरकार की नवीन गाइड लाइंस दिनांक 13.07.2018 के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

3– **पात्रता की शर्तें/अर्हतायें**– स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजूकेशन इन मदरसा (एस0पी0ई0एम0एम0) के अन्तर्गत मदरसों/मकतबों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित अर्हतायें पूर्ण करनी अनिवार्य होगीः–

(1) इस योजना के अन्तर्गत वे सभी शिक्षण संस्थायें अर्ह होंगे, जो स्वैच्छिक संगठन/समितियॉ/न्यास द्वारा संचालित हैं, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अधिनियमों/वक्फ बोर्डो के अन्तर्गत पंजीकृत हों

तथा उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ से मान्यता प्राप्त हों व नियमानुसार सत्यापित होकर मदरसा पोर्टल पर लॉक कराया गया हों।

(2) योजनान्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति मदरसा/मकतब प्रबन्ध समिति द्वारा कम से कम प्रदेश स्तर के मान्यता प्राप्त एक हिन्दी एवं एक उर्दू दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर पारदर्शी तरीके से किया गया हो।

(3) मदरसे/मकतब का यू–डायस कोड होना अनिवार्य होगा।

(4) मदरसा/मकतब प्रबन्ध समिति द्वारा योजनान्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करने के पश्चात भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 13.07.2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप संलग्न पर आवेदन संबंधित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा स्वयं मदरसे/मकतब का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन करके निर्धारित प्रारूप पर अपनी जॉच रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। जॉच रिपोर्ट के साथ मदरसे/मकतब का निरीक्षण करते हुये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की फोटोग्राफ अवश्य संलग्न की जायेगी तथा योजनान्तर्गत नियुक्त शिक्षक की शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अभिलेखों का मिलान मूल अभिलेखों से प्रस्ताव प्रेषण के पूर्व अवश्य कर लिया जायेगा। योजनान्तर्गत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिनों के अन्दर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

(6) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से प्राप्त प्रस्तावों का निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एक समिति का गठन करके भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/पात्रता के अनुसार परीक्षण कराकर शासन को प्रस्ताव उचित माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

4– इन्फ्रास्ट्रक्चर डवेलपमेण्ड इन मॉइनारिटी इंस्टीटयूशन (आई0डी0एम0आई0) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.07.2018 द्वारा निम्नवत् मानक/पात्रता निर्धारित की गयी है:–

इस योजना के अन्तर्गत वे सभी शिक्षण संस्थायें अर्ह है, तो स्वैच्छिक संगठन/समितियॉ/न्यास जिनके द्वारा वे संचालित है केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

1. योजनान्तर्गत वे शिक्षण संस्थायें अर्ह है, जो भारत सरकार/राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो और तीन वर्ष से अस्तित्व में हो।
2. योजनान्तर्गत वे सभी शिक्षण संस्थायें पात्र होंगी जो राज्य सरकार या भारत सराकर से अल्पसंख्यक संस्था घोषित हो, अल्पसंख्यक संस्था घोषित संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. शिक्षण संस्था का यू–डायस कोड अनिवार्य होगा।
4. इच्छुक शिक्षण संस्था द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.07.2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में प्रस्तुत किया जायेगा।
5. भारत सराकर द्वारा अनुमोदित धनराशि का 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा अपने निजी स्त्रोंतों से व्यय किया जाएगा।
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा स्वयं शिक्षण संस्था का स्थलीय सत्यापन करके अपनी आख्या/संस्तुति के साथ प्रस्ताव निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को अधिकतम 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जायेगा।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से प्राप्त प्रस्तावों का निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एक समिति का गठन करके भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/पात्रता के अनुसार परीक्षण कराकर शासन को प्रस्ताव उपलब्ध करायें जायेगें।

5– उपर्युक्त दोनों योजनान्तर्गत के अन्तर्गत शासन स्तर पर प्रस्तावों का निम्नवत् गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त भारत सरकार को प्रेषित किये जायेंगे।

(1)	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन	**अध्यक्ष**
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग नामित विशेष सचिव/संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी	**सदस्य**
(3)	वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि	**सदस्य**
(4)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भारत सरकार नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि	**सदस्य**
(5)	रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ	**सदस्य**
(6)	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ	**सदस्य/सचिव**

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त समिति की बैठक तभी आयोजित की जायेगी जब निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ से प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो जायेंगे। उक्त दोनों योजनान्तर्गत प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन दिनांक 13.07.2018 के अनुसार शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2432(1)/52–3–2018,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, अरबी फारसी मदरसा शिक्षा परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0।
6. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा उ0प्र0।
8. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, निशातगंज, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

आज्ञा से,

/

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।